राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.1(5)वित्त/अंकेक्षण/2017 जयपुर, दिनांक : 06/11/2017

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय : भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015–16 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए वांछित कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015–16 राजस्थान विधानसभा में दिनांक 24–10–2017 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन की प्रतियाँ शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग के पत्र कमांक प–7(15)वित्त–1(1)आ.व्य./2016 दिनांक 27–10–2017 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी हैं।

आपको विदित है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (स्थानीय निकायों ओर पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से **तीन माह की अवधि** के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाये जाने होते हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट आपके विभाग/नियंत्रणाधीन संस्थाओं/निकायों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि तीन माह (**दिनांक 23–01–2018 तक**) में प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान से संवीक्षा कराकर 25 प्रतियों में राजस्थान विधानसभा (स्थानीय निकायों ओर पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति), चार प्रतियों में प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, एक–एक प्रति निदेशक (बजट), वित्त विभाग तथा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। प्रतिवेदन में दर्शाई गई त्रुटियों/कमियों को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित की जावे। प्रतिवेदन में दर्शायी गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लायी जावे।

भवदीय,

(डी. बी. गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक (बजट), वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग, राजस्थान, जयपुर को विभाग की वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव